

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 627]


भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2014—पौष 3, शक 1936

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ-16-11-2013-बाईस-पं-2.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 61-क से 61-ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, जिन्हें कि उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1 मार्च, 2014 में पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:—


संयुक्त संचालक
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

1253

- (7) सक्षम प्राधिकारी, नियम 10, 11 और 16 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात् प्ररूप-5 में कालोनी को विकसित करने की अनुज्ञा प्रदान करेगा। प्राधिकारी ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जैसी कि वह उपयुक्त समझे।
- (8) यदि आवेदक को उपरोक्त उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर आवेदन के निराकरण के बारे में सक्षम प्राधिकारी से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो वह लिखित में पत्र द्वारा तथ्यों को सक्षम प्राधिकारी की जानकारी में लाएगा यदि सक्षम प्राधिकारी ऐसे पत्र की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर कोई आदेश जारी नहीं करता है तो अनुज्ञा प्रदान कर दी गई समझी जाएगी।

10. प्रस्तावित कालोनी का अभिन्यास :-

- (1) जहां विकसित की जाने वाली प्रस्तावित कालोनी, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) के अधीन गठित किए गए किसी निवेश क्षेत्र (प्लानिंग एरिया) में स्थित है, वहां नियम 9 के अधीन आवेदन के साथ अनुमोदित अभिन्यास एवं इन नियमों से संलग्न प्ररूप-6 में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में उपबंधित किये गये अनुसार संलग्न किया जाएगा।
- (2) जहां विकसित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अधीन गठित किये गए किसी निवेश क्षेत्र के बाहर स्थित हो, वहां उपखंड अधिकारी (राजस्व) संबंधित नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी के सक्षम प्राधिकारी से अभिमत प्राप्त करेगा। स्वीकारात्मक अभिमत प्राप्त होने के पश्चात ही मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 172 के अधीन उक्त भूमि का व्यपवर्तन आदेश जारी किया जाएगा। अभिन्यास (लेआउट) का अनुमोदन हो जाने तथा व्यपवर्तन आदेश जारी हो जाने के पश्चात मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 2 के उपनियम (5) के खण्ड (ख) के अधीन अधिकारिता रखने वाले अधिकारी द्वारा भवन अनुज्ञा मंजूर की जाएगी।

11. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों के लिए भू-खण्डों या निवास एककों का प्रावधान.-

- (1) विकसित भूखण्डों के मामले में कालोनाइजर विक्रय योग्य क्षेत्र का 6 प्रतिशत (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों के लिये (प्रत्येक के लिये 3 प्रतिशत) तथा निवास एककों के मामले में कुल निर्मित क्षेत्र का 6 प्रतिशत (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों के लिये) (प्रत्येक के लिए 3 प्रतिशत) आरक्षित रखा जाएगा :

परंतु यदि कालोनी का कुल क्षेत्रफल 02 हेक्टेयर से कम है तो कालोनाइजर यथास्थिति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों के लिए उसी कालोनी में विकसित भूखण्ड/निवास एकक आरक्षित रखेगा तथापि, यदि कालोनी का क्षेत्रफल (एरिया) 02 हेक्टेयर से अधिक है, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूहों के लिए 6 प्रतिशत विकसित भूखण्ड/निवास एकक उसी परिसर में आरक्षित रखने के बदले में मुख्य परिसर से 2 किलोमीटर की परिधि के भीतर आरक्षित रखे जा सकेंगे। तथापि, ऐसी अनुज्ञा कालोनाइजर द्वारा, कालोनी का विकास/गृह निर्माण करने की अनुमति अभिप्राप्त करते समय ही अभिप्राप्त की जाएगी।

संयुक्त संचालक
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल